**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू**
**पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.**

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 471 / 2018 | दावा 88 RTA | 12.09.2018 | 06.11.2018 |

बिरजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति जागिड़ निवासी सहनाली छोटी तहसील वा जिला चूरू (राज.)

—वादी—

**बनाम**

1. रिछपाल
2. रामगोपाल

पुत्रगण पूर्णाराम जाति जागिड़ निवासी सहनाली छोटी तहसील वा जिला चूरू (राज.)

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. अधिवक्ता श्री सन्दीप वर्मा प्रतिवादी सं. 1, 2

**निर्णय**

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 50 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही सहनाली छोटी तहसील चूरू में स्थित है जो वादी की दादालाई सम्पत्ति है। वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद पैतृक इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का नाम बिरजलाल पुत्र पूर्णाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम बिरजूराम पुत्र पूर्णाराम है। उक्त गलत दर्ज नाम आज तक गलत ही दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी के परिवार के राशन कार्ड सं.ख्या 007053600321, मतदाता पहचान पत्र सं. आर.जे. / 03 / 020 / 498536, आधार कार्ड सं. 916812393522 तथा भामाशाह कार्ड सं. 1018—एईवाई6—15553 आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का सही नाम बिरजूराम पुत्र पूर्णाराम अंकित है। उक्त समस्त दस्तावेज वैध दस्तावेज हैं। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने वैध दस्तावेजों के अनुरूप सही करवाये। वादी ने प्रतिवादीगण को इस हेतु कहा व कहलवाया परन्तु दिनांक 10.09.18 को प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया इसलिए वादी ने यह दावा न्यायालय में पेश किया है। उक्त इन्कारी दिनांक से वादी को विनाय दावा प्राप्त है। कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वादी की ओर से दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 50 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही मौजा सहनाली छोटी में वादी का गलत दर्ज नाम बिरजलाल पुत्र पूर्णाराम जाति जांगिड़ को हटाया जाकर सही व दुरूस्त नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में बिरजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति जांगिड़ निवासी

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री सन्दीप वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा। पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.11.2018 को वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि हम जवाब नहीं देना चाहते, जिस पर जवाब बन्द किया जाकर वकील वादी को साक्ष्यवादी हेतु कहा गया। वकील वादी ने कथन किया कि पत्रावली पर पेश दस्तावेजों को ही साक्ष्यवादी माना जावे, जिस पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर वकील प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु कहा गया। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि हम साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, जिस साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद जो विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ उसमें वादी का नाम बिरजलाल पुत्र पूर्णाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही व दस्तावेजी नाम बिरजूराम पुत्र पूर्णाराम है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से उसे केसीसी व अन्य राजकीय कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने वादगत कृषि भूमि के समस्त खातेदारों व सम्बन्धित पक्षकारों को दावा में पक्षकार बनाते हुए अपने गलत दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादीगण ने विरोध में कोई जवाबदावा या साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। वादी ने अपने दावा के समर्थन में परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड पेश किये हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि वादी का सही नाम बिरजूराम है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उक्त दस्तावेजों के मुताबिक बिरजलाल पुत्र पूर्णाराम के स्थान पर बिरजूराम पुत्र पूर्णाराम अंकित करने का आदेश फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी ने अपनी संक्षिप्त बहस में कथन किया कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम उसके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ख.नं. 50 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही ग्राम सहनाली छोटी में वादी का नाम बिरजलाल पुत्र पूर्णाराम 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी के परिवार के राशन कार्ड सं.ख्या 007053600321, मतदाता पहचान पत्र सं. आर.जे./03/020/498536, आधार कार्ड सं. 916812393522 तथा भामाशाह कार्ड सं. 1018–एईवाई6–15553 आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का सही नाम बिरजूराम पुत्र पूर्णाराम अंकित है। वादी ने वादगत कृषि भूमि के समस्त सह खातेदारों को प्रतिवादी पक्षकार बनाया है जिन्होंने दावा के विरोध में न तो जवाबदावा पेश किया है तथा ना ही कोई साक्ष्य पेश किया है तथा बहस में कथन किया है कि यदि दावा वादी स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 50 50 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही ग्राम सहनाली छोटी में वादी का नाम गलत रूप से बिरजलाल पुत्र पूर्णाराम 1/3 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है जिसको वादी दुरूस्त

करवाना चाहता है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में अपने परिवार के राशन कार्ड सं.ख्या 007053600321, मतदाता पहचान पत्र सं. आर.जे./03/020/498536, आधार कार्ड सं. 916812393522 तथा भामाशाह कार्ड सं. 1018–एईवाई6–15553 आदि की प्रतियां पेश की हैं जिनमें वादी का नाम बिरजूराम पूर्णाराम दर्ज है। दावा में प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी वादगत कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बिरजलाल गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में सही नाम बिरजूराम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों से वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 50 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही मौजा ग्राम सहनाली छोटी में वादी का नाम बिरजलाल पुत्र पूर्णाराम 1/3 हिस्सा जाति जांगिड़ निवासी सहनाली छोटी खातेदार के स्थान पर बिरजूराम पुत्र पूर्णाराम 1/3 हिस्सा जाति जांगिड़ निवासी सहनाली छोटी खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू

# डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
## (CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
# अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

**इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0**

बिरजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति जागिड़ निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

<u>बनाम</u>

1. रिछपाल
2. रामगोपाल

(1–2) पुत्रगण पूर्णाराम जाति जागिड़ निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू (राज.)

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 471 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब श्री सन्दीप वर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 50 तादादी 5.6403 हैक्टेयर रोही मौजा ग्राम सहनाली छोटी में वादी का नाम बिरजलाल पुत्र पूर्णाराम 1/3 हिस्सा जाति जांगिड़ निवासी सहनाली छोटी खातेदार के स्थान पर बिरजूराम पुत्र पूर्णाराम 1/3 हिस्सा जाति जांगिड़ निवासी सहनाली छोटी खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06 माह नवम्बर सन् 2018 को जारी की गई।

( श्वेता कोचर )
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू